

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1979/श्रावण 3, 1901
No. 309] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1979/SRAVANA 3, 1901

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० प्रा० 427 (प्र)/ई (सो) प्रो, 1977/ए एम (125):—आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित आदेश को रचना करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 38वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) प्रावेश, 1977 में, जुला सामान्य लाइसेंस-3 में, कासम-2 में, क्रम संख्या-57 के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएगी :—

“बासमती चावल, जेरागाम्बा और चावल की अन्य उत्तम किस्में जैसे आर०पी० 4-4, तेल्ला हम्मा मशूरी (उत्तम) बंगारुथेगलू, बी०टी० थोकसनम, सुरेखा रतना, पुरा-33, मशूरी (उत्तम) झिल्ली, लान्जी, सफरी-17, दुबराज, काली मूच, पी०आर० 104 परमल, कालानमक, निम्नलिखित :—

1. पालिश किया हुआ चावल।
2. भूसी उतारा हुआ पालिश न किया हुआ चावल।
3. पैडी चावल।”

[मिसिल संख्या-40/27/79-ई-2]

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 25th July, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 427(E)/E(C)O. 1977/AM.(125).—In exercise of the powers conferred Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-Eighth Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, in col. 2, the existing entry appearing against S. No. 57 shall be substituted by the following :—

“Basmati Rice, Jeeragasmaba and other fine varieties of rice e.g. R.P.4-4, Tella Hamsa Mashuro (Fine) Bangarutheegalu, B.T. Thokasannam, Surekha Ratna, Pura 33, Mashuri (Fine) Zhilli, Lanji, Safri-17, Dubraj, Kali Mooch, PR-106 Parmel, Kalanamak, the following :—

1. Polished rice.
2. Dehusked unpolished rice.
3. Paddy rice.”

[File No. 40/27/79-EII]

C. VENKATARAMAN,

Chief Controller of Imports & Exports